

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग ।।।—खण्ड ४

PART III—Section 4

पाधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 63] No. 63] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 21, 2014/फाल्गुन 02, 1935

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 21, 2014/PHALGUNA 02, 1935

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

हैदराबाद, 18 फरवरी, 2014

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की सेवा शर्तें) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2014

फा. सं. बी.वि.वि.प्रा./विनियम/5/88/2014. – बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) की धारा 26 की उप-धारा (2) के खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्राधिकरण बीमा सलाहकार समिति के साथ परामर्श करने के बाद बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की सेवा शर्तें) विनियम, 2000 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात :—

1 संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:

- (1) ये विनियम बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की सेवा शर्तें) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2014 कहलाएँगे।
- (2) ये विनियम सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. विनियम 4 का संशोधन:

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की सेवा शर्तें) विनियम, 2000 के विनियम 4(3) में वर्तमान चौथे परंतुक के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगाः

747 GI/2014 (1)

"बशर्ते आगे ऐसी प्रक्रिया करते समय प्राधिकरण द्वारा सीधी भर्ती और पदोन्नति में अनुसूचित जाति (अ.जा.), अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा.), अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) से संबंधित सदस्यों, विकलांग व्यक्तियों, आदि के लिए आरक्षण, छूट और रियायत संबंधी भारत सरकार के आदेशों का पालन किया जाएगा।"

3. विनियम 9 का संशोधन:

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की सेवा शर्तें) विनियम, 2000 के वर्तमान विनियम 9 के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगाः

"प्राधिकरण में अधिकारी और अन्य कर्मचारी की वरिष्ठता ऐसे तरीके से निश्चित की जाएगी जैसा कि प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर निर्धारित होगा।"

> टी. एस. विजयन, अध्यक्ष [विज्ञापन ॥।/4/161/13/असा.]

INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY NOTIFICATION

Hyderabad, the 18th February, 2014

Insurance Regulatory and Development Authority (Conditions of Service of Officers and Other Employees) (Third Amendment) Regulations, 2014

F.No. IRDA/Reg./5/88/2014.— In exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (2) of Section 26 of the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999), the Authority, in consultation with the Insurance Advisory Committee, hereby makes the following regulations to amend the Insurance Regulatory and Development Authority (Conditions of Service of Officers and Other Employees) Regulations, 2000, namely:—

1. Short title and commencement:

- (1) These regulations may be called the Insurance Regulatory and Development Authority (Conditions of Service of Officers and Other Employees) (Third Amendment) Regulations, 2014.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Amendment to Regulation 4:

For the existing fourth proviso in Regulation 4(3) of the Insurance Regulatory and Development Authority (Conditions of Service of Officers and Other Employees) Regulations, 2000, the following shall be substituted:

"Provided further that, Government of India Orders on reservation, relaxation and concession to members belonging to SC, ST, OBC, Persons with Disabilities, etc., in direct recruitment and promotion shall be complied with by the Authority, while undertaking such exercise."

3. Amendment to Regulation 9:

For the existing Regulation 9 of the Insurance Regulatory and Development Authority (Conditions of Service of Officers and Other Employees) Regulations, 2000, the following shall be substituted:

"The seniority of an officer and other employee in the Authority will be determined in such manner as prescribed by the Authority from time to time."

T.S. VIJAYAN, Chairman [ADVT. III/4/161/13/Exty.]